Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **02/ 2020** दायर तारीख :– **06-01-2020**

1. कैलाश पुत्र हजारी लाल जाति धोबी निवासी– जे–10 टी कैम्प खिचडीपुर ईस्ट दिल्ली–91
   बैहैसियतः –मुख्त्यार आम नियुक्त–
   भोलाराम सैनी पुत्र श्री टेकाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नंबर–1, कस्बा विराटनगर जिला जयपुर राज0 —— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0। —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती खातेदारी रिकॉर्ड

जमाबंदी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांकः–11.03.2020

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम पापड़ी के खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.69 हैक्टयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने आराजी मुतनाजा को विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1983 को खातेदार काना पुत्र भूरा जाति माली निवासी गोल विराटनगर से खरीद की थी तथा खरीद के समय ही आज तक बे रोक–टोक निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र में अपना नाम कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर अंकित करवाया था, जिसमें कैलाश पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर के नाम अंकित कर खाता खोला गया। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में सहवन से जाति दर्ज नहीं हुई है,, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात,, मतदाता पहचान पत्र, आदि में वास्तविक नाम कैलाश पुत्र हजारी लाल धोबी है। अतः प्रार्थी का नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि ग्राम पापडी के खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.69 हैक्टयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र हजारी के बजाय कैलाश पुत्र हजारी कौम धोबी दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें। साथ ही आवश्यक अमल दरामद कर पर्चा पास बुक जारी करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम पापडी खाता संख्या 27 संवत् 2071–2074, विक्रय पत्र की फोटो प्रति निष्पादन दिनांक 14.12.1983, नकल आज्ञा पत्र नामा0 शामिल मिसल नंबर 611/84 ग्राम पापडी जारी नकल 22.12.17, नकल पर्चा नया जारी नकल 22.12.17, मुख्त्यार नामा0 आम निष्पादन दिनांक 13.11.17, फोटो प्रति जाति प्रमाण–पत्र उपायुक्त कार्यालय दिल्ली प्रशासन, फोटोप्रति पहचान–पत्र आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम पापड़ी के खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.69 हैक्टयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने आराजी मुतनाजा को विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1983 को खातेदार काना पुत्र भूरा जाति माली निवासी गोल विराटनगर से खरीद की थी तथा खरीद के समय ही आज तक बे रोक–टोक निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र में अपना नाम कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर अंकित करवाया था, जिसमें कैलाश पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर के नाम अंकित कर खाता खोला गया। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में सहवन से जाति दर्ज नहीं हुई है, जबकि सभी साक्ष्यों दस्तावेजों में जाति अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों का अवलोकन किया गया जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के द्वारा वाद ग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 14.12.83 के अनुसार भी वाद ग्रस्त आराजी कैलाश चंद पुत्र हजारी लाल धोबी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

क्रय किया जाना अंकित है तथा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी विराटनगर कि मिसल संख्या 611/84 में के निर्णय दिनांक 18.10.84 द्वारा आराजी केता कैलाश चंद पुत्र हजारी लाल धोबी के नाम इन्द्राज किय जाने के आदेश दिए गए है तथा उपायुक्त कार्यालय दिल्ली प्रशासन के जाति प्रमाण पत्र संख्या 105150/एसएच/88/2231 दिनांक 06.05.88 में कैलाश चंद पुत्र हजारी लाल की जाति धोबी अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पापड़ी के खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम में जाति अंकित करते हुए कैलाश पुत्र हजारी लाल के बजाय कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.03.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर